390317/2023

NATION TAX MARKET

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

मुख्य आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER

सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR

F.No. GCCO/RTI/APP/1351/2023-LEGAL | 1118 to 1119 Dated 26.06.2023

To

The CPIO,
CGST Commissionerate,
Udaipur.

Sir,

Subject: - Transfer of RTI application dated 22.06.2023 filed by Ms. Niharika Rajwaniya D/O Sh. Suganchand Rajwaniya, 36-A, Shankar Vihar, Muralipura Scheme, Jaipur - 302039 under Section 6(3) of RTI Act, 2005 - reg.

Please find enclosed herewith RTI application dated 22.06.2023 received in this office on 23.06.2023 filed by Ms. Niharika Rajwaniya D/O Sh. Suganchand Rajwaniya, 36-A, Shankar Vihar, Muralipura Scheme, Jaipur - 302039 for providing information under the RTI Act, 2005.

The information sought in the aforesaid RTI application, appears to be related to your office. Therefore, the above mentioned RTI application is being transferred under Section 6(3) of RTI Act, 2005. It is requested to provide the required information directly to the applicant under RTI Act, 2005, subject to the provisions of RTI Act & Rules made there under.

It is also requested that in case, the requisite information is not held by you and pertains to another public authority, the RTI applications may please be transferred to the concerned public authority under section 6(3) of the RTI Act, 2005.

Encl: -As above.

Yours faithfully,

Signed by Ram Kishan Bairwa
Date: 26-06-2023 13:50:03
Reason: Approved

(Ram Kishan Bairwa)
CPIO & Assistant Commissioner

Copy to:-

1. Ms. Niharika Rajwaniya D/O Sh. Suganchand Rajwaniya, 36-A, Shankar Vihar, Muralipura Scheme, Jaipur - 302039, with the request to make all future correspondence in the matter with the above CPIO to whom the RTI application has been transferred under section 6(3) the RTI Act, 2005.
2. The Chief Accounts Officer, CGST, Jaipur along with original **IPO No. 61F 858654 of Rs. 10/-** for necessary action at your end.

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-03

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1))

Commissioner, CGST Jaipur Zone, Jaipur, Section, 23 JUN 2023

प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

कार्यालय :- लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं सेवा कर विभाग जयपुर जोन, कार्यालय मुख्य आयुक्त जयपुर, एन.सी.आर. बिल्डिंग सेक्टर 6, जयपुर 302005 (राज.)

(1) आवेदक का पूरा नाम निहारिका रजवानियाँ पुत्री श्री सुगनचन्द रजवानियाँ

(2) पता :- 36-A शंकर विहार, सुरतीपुरा स्कीम, जयपुर

(3) चाही गई सूचना की विशिष्टिया :-

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है सी.जी.एस.टी. कार्यालय, जयपुर

सूचना की प्रकृति पत्नी व बच्चों द्वारा विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त

सूचना की अवधि अधिकारी के वेतन, पेंशन नॉमिनी, पदोन्नतियों के सम्बन्ध में

चाही गई सूचना का विवरण प्रश्न-1) विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त सुगन चंद रजवानियाँ के वर्तमान वेतन की राशि, उनकी सर्विस बुक, जी.पी.एफ., पी.पी.एफ., पेंशन में नॉमिनी का सही विवरण दिया जाये। 2) सुगन चंद रजवानियाँ की पिछले 6 माह की वेतन की प्रमाणित अभिलिपि पत्र (सैलरी स्लिप) दिया जाये। 3) सु. आयुक्त सुगनचन्द रजवानियाँ की पदोन्नति कब कब हुई उसका विवरण व वर्तमान पदाभिधान की संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें।

(4) क्या फीस देने का सबूत संलग्न कर दिया है ?

1. आवेदन शुल्क रूपये 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर नं. 61F 858654 संलग्न है।

डीडी/बैंकर्स चैक न. .....

बैंक का नाम .....

2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क .....

3. फोटो प्रति शुल्क .....

(5) यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है तो दस रूपये की फीस देय नहीं है।

बीपीएल क्रमांक संख्या .....

स्थान : जयपुर

दिनांक : 22.06.2023

निहारिका

आवेदक के हस्ताक्षर